उत्तर प्रदेश शासन

ग्राम्य विकास अनुभाग-1

संख्या- 14/2016/181/38-1-2016&3508/2013

लखनऊ: दिनांक: 28 जनवरी, 2016

<u>नियुक्ति/विज्ञप्ति</u>

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा,2013 के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी के पद पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को अनुकूल चरित्र सत्यापन एवं राज्य चिकित्सा परिषद्, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण में स्वस्थ्य घोषित किये जाने के उपरान्त उत्तर प्रदेश प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग में खण्ड विकास अधिकारी के पद पर वेतनमान रू0 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रू0 5400 में मौलिक रूप से नियुक्त करते हुए इन्हें 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जिसे नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है) पर रखते हुए निम्नलिखित नवनियुक्त खण्ड विकास अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कालम-6 में अंकित जनपद में खण्ड विकास अधिकारी के पद पर तथा कार्यालय आयुक्त ग्राम्य विकास में सहायक आयुक्त के पद पर एतद्द्वारा तैनात किये जाने के आदेश श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं:-

क्र0	नाम	पिता/पति का नाम	पत्राचार का पता	गृह जनपद	तैनाती का जनपद
1	2	3	4	5	6
1	श्री नीरज कुमार अवस्थी	श्री बाबू राम अवस्थी	कुम्हार टोला, गोला, खीरी 262802	खीरी	अमरोहा
2	श्री राकेश कुमार सिंह	श्री शत्रुहन सिंह	ग्राम-गोड़हिया नं0-1 (जैराज सिंह पुरवा) पो0- बभननपुरवा (कैसरगंज) जनपद- बहराइच 271903	बहराइच	बिजनौर
3	श्री आदित्य तिवारी	श्री बद्री विशाल नाथ तिवारी	डी-211, कसमण्डा रीजेण्ट अपार्टमेन्ट, 2-पार्क रोड, हजरतगंज, लखनऊ- 226001	फैजाबाद	मैनपुरी
4	श्री अजितेश कुमार सिंह	श्री शिव शंकर सिंह	749/29 सरयू कालोनी, पूरा गडेरिया, नियर शिव कुटी थाना- इलाहाबाद, 211004	इलाहाबाद	जालौन
5	श्री आलोक कुमार सिंह	श्री अशोक कुमार सिंह	मकान नं0-41, ग्राम-रूपचन्द्रपुर, पो0-मिरसादपुर, थाना-बदलापुर, जौनपुर	जौनपुर	प्रतापगढ़

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6	सुश्री सोनाली चोपड़ा	श्री खेम चन्द्र चोपड़ा	एफ-663, राजाजीपुरम, लखनऊ 226017	लखनऊ	सहायक आयुक्त कार्यालय, आयुक्त, ग्राम्य विकास
7	श्री अनिल कुमार यादव	श्री सीताराम यादव	ग्रा0 सिसवा मठिया, पो0 परसौनी वाया पडरौना, कुशीनगर	कुशीनगर	इलाहाबाद
8	श्री रतन प्रकाश चौधरी	श्री विरेन्द्र चौधरी	म0सं0-2, वन विभाग कालोनी सिविल लाइन्स, गोलघर, गोरखपुर	महराजगंज	देवरिया

2- जनपद के विकास खण्ड में तैनाती सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा की जायेगी।

3- सम्बन्धित अभ्यर्थियों की तैनाती के जनपदों में विभिन्न विकास खण्डों में 01 माह की फील्ड ट्रेनिंग दिये जाने के उपरान्त ही सम्बन्धित जिलाधिकारियों के द्वारा इनकी विकास खण्डों में स्वतंत्र रूप से तैनाती की जायेगी।

4- इन अभ्यर्थियों की सेवा शर्ते शासन द्वारा निर्गत की गई नियमावलियों एवं शासनादेशों के अधीन विनियमित होंगी।

5- प्रत्येक अभ्यर्थी को शैक्षिक तथा आयु सम्बन्धी प्रमाण पत्र और चरित्र सम्बन्धी दो राजपत्रित अधिकारियों के प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा एवं जिन अभ्यर्थी ने पूर्व नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया है, को भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत न करने पर सम्बन्धित जिलाधिकारी को यह अधिकार होगा कि वे अभ्यर्थियों को योगदान करने की अनुमति प्रदान न करें।

6- तैनाती के जनपद तक जाने/पहुॅचने हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

7- प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग में उक्त अधिकारियों की ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली- 1991 ‘अद्यावधिक संशोधन सहित’ के सुसंगत नियमों के अनुसार लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

8- यह नियुक्ति मा0 सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित विशेष अनुज्ञा याचिका ‘सिविल’ संख्या-14299-14301/2007 उ0प्र0 लोक सेवा आयोग तथा अन्य प्रति पारसनाथ पाल तथा अन्य में पारित होने वाले निर्णय के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

दीपक त्रिवेदी
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 14/2016/181(1)/38-1-2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(2) कार्मिक अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन को उनके पत्र संख्या-15/9/2015-का-4-2015 दिनांक 05.05.2015 के संदर्भ में प्रेषित।

(3) निदेशक, उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी अलीगंज, लखनऊ।

(4) सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद।

(5) महानिदेशक दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ।

(6) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(7) निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 इलाहाबाद को सरकारी गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।

(8) समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(9) समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(10) समस्त मण्डलायुक्त/संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश ।

(11) सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश की प्राप्ति के एक माह के भीतर तैनाती के जनपद में कार्यभार ग्रहण करें। अन्यथा यह समझा जायेगा कि वह उक्त पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं है और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन समाप्त समझा जायेगा।

(12) गार्ड फाईल।

आज्ञा से

उमा कान्त मिश्र
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।